प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिय)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
64 बाजपुर (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिये
निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता है कि—

श्री यशपाल आर्य

निवासी ग्राम छडायल सुयाल पो0 मानपुर पश्चिम हल्द्वानी नैनीताल जो (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खडे किये गये हैं। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये समयक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान– बिगवाडा मण्डी, रूद्रपुर।

तारीख- 10.03.2022

रिटर्निंग ऑफिसर, 64 बाजपुर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जनपद उधमसिंह नगर।

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order) FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of <u>Uttarakhand</u> from <u>64-Bajpur (SC)</u> Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

YASHPAL ARYA

chharayal suyal po manpur west haldwani nainital [sponsored by Indian National Congress] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Rudrapur

Date: 10-03-2022

(Shri Rakesh Chandra Tiwari)
Returning Officer

064-Bajpur(SC)

Legislative Assembly Constituency रिटर्निय अधिसर